रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229274
CG-DL-E-27082021-229274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
No. 483] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 595(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 433(अ) तारीख, 23 जून, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना हैं, उस तारीख से जिससे उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 24 जून, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 125 के उपनियम 9क में "31 अगस्त, 2021" शब्दों और अंकों के स्थान पर "31 दिसंबर, 2021" शब्द और अंक रखे जाएंगें।

[फा. सं. 11028/16/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ) तारीख, 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिमबार अधिसूचना संख्या 575(अ) तारीख, 11 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

G.S.R. 595(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways G.S.R 433(E), dated the 23rd June, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th June, 2021;

And, whereas, no objection and suggestion were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Nineteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in Rule 125, in sub-rule 9A, for the words and figures "31st day of August, 2021" the words and figures "31st December, 2021" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number G.S.R. 575(E), dated the 11th August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.27 22:21:38 +05'30'